न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— रतन कुमार स्वामी, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 11/2026/निगरानी

सुनिता पुत्री ओमप्रकाश जांगिड़ पत्नी कालीचरण जाति जांगिड़ निवासी ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल निवास स्थान ग्राम रूल्याणा माली तहसील नेछवा जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

1 रूकमणी पत्नी लक्ष्मण जाति जांगिड़ निवासी ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2 सरपंच ग्राम पंचायत पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
3 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व पट्‌टा संख्या 09 दिनांक 20.11.2024 द्वारा ग्राम पंचायत पाटोदा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़

वकील प्रार्थी श्री रामनिवास रायल
वकील अप्रार्थी श्री सोहनलाल चौधरी

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * सीकर *

निर्णय **दिनांकः—23.04.2026**

संक्षेप में निगरानीकर्ता का प्रकरण यह है कि योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया चुनौतीग्रस्त पट्टा खिलाफ कानून एवं रूएदाद मिसल है। ग्राम पंचायत ने गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा विधि विरूद्व है क्योकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्‌टा भूमि खसरा नम्बर 327 रकबा 0.4200 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम 1994 के नियमो के खिलाफ जारी किया गया है। निगरानीकर्ता की पैत्रिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 327 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उक्त कृषि भूमि में से चुनौतीग्रस्त पट्‌टा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया गैर कानूनी है। ग्राम पंचायत को कृषि भूमि का पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नही था। निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पति लक्ष्मणराम व कानाराम पुत्र रामेश्वरलाल, मोहनलाल पुत्र रामेश्वरलाल, रघुनाथ प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल, सोहनलाल पुत्र रामेश्वरलाल की संयुक्त खातेदारी की पैत्रिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 327 रकबा 0.4200 हैक्टर वाके ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में अवस्थित है परन्तु गैर निगरानीकर्ता ने निगरानीकर्ती के खिलाफ षडयंत्र के तहत फर्जी व अवैध पट्टा जारी करके निगरानीकर्ता की संपदा को हडपने का कुप्रयास किया गया है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने विधि के प्रावधानो के विपरीत कार्यवाही करके फर्जी पट्टा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया। जो कि नियम 157 (1) पंचायत राज अधिनियम 1994 के विपरीत होने के कारण चुनौतीग्रस्त पट्‌टा को निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। चुनौतीगस्त पट्टा जारी करने के संबंध में अधिनस्थ ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग किया है तथा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के कब्जा एवं अधिकार की संपदा होना गलत रूप से अंकित किया है तथा खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में नियम 157 के तहत पट्टा दिया जाने का कोई कानूनी प्रावधान नही है। नियम 157 के तहत पुराने गृहो का

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

नियमितिकरण किया जाने का ही प्रावधान है। नियम 157 के प्रावधान निम्न प्रकार से है– जहां व्यक्तियो के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो वहां वे निम्नानुसार राशि जमा कराये जिन्हे इसके पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जायेगा (क) पचास वर्ष से पूर्व से निर्मित मकानो हेतु 100 रूपये (ख) इन नियमो में लागू होने की तथि को 50 वर्षों के दौरान बने मकानो हेतु 200 रूपये। परन्तु गैर निगरानीकर्ता को जिस जगह का पट्टा दिया गया है उसकी जांच रिपोर्ट पंचायत समिति लक्ष्मणगढ के विकास अधिकारी ने श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 की अवहेलना एवं पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग के कारण तत्कालीन सरपंच वर्तमान प्रशासक एवं ग्राम विकास अधिकारी दोषी है।" निगरानीकर्ता के द्वारा चुनौतीग्रस्त पट्टटा के संबंध में शिकायत पंचायत समिति लक्ष्मणढ में की गयी। जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ ने जांच रिपोर्ट तैयार करके निगरानीकर्ती को प्रमाणित प्रति प्रदान करके कहा गया कि पंचायत समिति की मिटिंग में काफी समय लगने की संभावना है इस कारण आप श्रीमान जिला कलेक्टर के समक्ष निगरानी के माध्यम से पट्टे को निरस्त करवा लो। इसलिए निगरानीकर्ती को न्याय की उम्मीद पंचायत समिति लक्ष्मणगढ से नही है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ–139 (19) आरडीपी/एलजे/95/3275–एस.ओ.163 दिनांक 26.10.1996 के द्वारा धारा 97 की शक्तियां जिले के कलेक्टर को प्रदान करने के कारण निगरानी माननीय न्यायालय हाजा को सुनवायी किया जाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसलिए माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाकर गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया चुनौतीग्रस्त पट्टा संख्या 09 दिनांक 20.11.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा पूर्वोक्त कथनों की पुनरावृति करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है वंही विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता द्वारा यह कथन स्वीकार किया गया है कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा कृषि भूमि की भूमि पर जारी किया गया है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता के पति की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसका अब विधिवत बंटवारा किया जा चुका है। अतः गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा को निरस्त किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात के अवलोकन करने पर प्रगति प्रसार अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ की जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि "ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत उक्त पट्टा जारी किया गया है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 29.01.2026 द्वारा उपरोक्त पट्टो की भूमि की किस्म में सम्बंध में भिजवाई गई रिपोर्ट अनुसार पट्टा भूमि किस्म बारानी 1 है। अतः राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 की अवहेलना एवं पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए पट्टा जारी किया गया है जो नियम विरूद्व है।" मुताबिक जमाबन्दी उपरोक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी भिन्न–भिन्न खातेदारों के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता द्वारा भी पट्टा स्थल भूमि कृषि भूमि होने का कथन स्वीकार किया गया है। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि की किस्म बारानी 1 भिन्न–भिन्न खातेदारों के नाम से दर्ज है जो प्रबंधन आदि के उद्देश्य से ग्राम पंचायत की अधिकारिता में नहीं है। ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज नियम 140 में उल्लेखित आबादी भूमि का ही पट्टा जारी कर सकती है। खातेदारी की भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पंचायत पाटोदा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 20.11.2024 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार स्वामी)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर